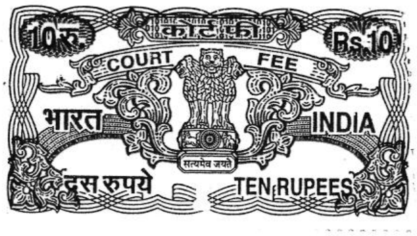

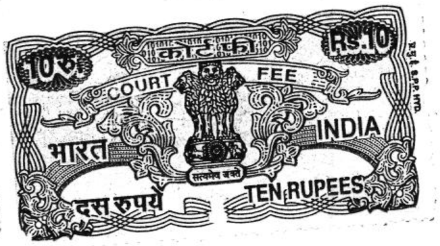

न्यायालय सम्माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप सागर संभाग सागर

प्रदीप कुमार जैन बल्द वीरेन्द्र कुमार जैन,
निवासी– कटरा बाजार सागर जिला सागर म0प्र0........ पुनरीक्षणकर्ता

नि.प्र–498–II–16

// बनाम //

1 कौशल कुमार पिता अरविंद भाई पटेल,
निवासी– गुजराती बाजार सागर जिला सागर म0प्र0
2 मध्यप्रदेश 'शासन द्वारा नायब तहसीलदार
सर्किल परसोरिया सागर .... रेस्पोडेट

पुनरीक्षण कमांक ता0 पेशी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 –:

पुनरीक्षण कर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है –:

पुनरीक्षण के आधार

उक्त पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल परसोरिया तहसील व जिला के राजस्व प्रकरण कमांक 577/बी/121/2014–15 मे आदेश दिनांक 7/1/2016 से परिवेदित होकर सम्माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है ।

1– यहकि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल परसोरिया तहसील व जिला के द्वारा उक्त राजस्व प्रकरण कमांक में रेस्पोडेट के आवेदन पत्र में रेस्पोडेट द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के मौजा रूसल्ला पटवारी हल्का नंबर 78 सर्किल परसोरिया सागर स्थित भूमि खसरा 379 में रास्ता की मांग किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10/7/15 को हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से संयुक्त रिपोर्ट पंचनामा सहित लिये जाने का आदेश दिया था ।

2– यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आधार पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिनांक 26/12/15 को एक संयुक्त रिपोर्ट मय नक्शा पंचनामा के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी । जिसमें उनके द्वारा उक्त खसरा नंबर 379 में किसी भी के रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है लेख किया था । जिसकी रिपोर्ट पुनरीक्षण आवेदन के साथ प्रस्तुत है ।

3– यहकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 26/12/15 को अनदेखा करते हुए पुनः आवेदक एवं अनावेदक की उपस्थिति में संयुक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का जो आदेश दिनांक 7/1/16 को दिया है । वह आदेश बिना किसी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 498-II/16 जिला सागर

प्रदीप वि. कौशल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और उपलब्ध अभिलेख एवं निगरानी मेमो का परिशीलन किया। ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि ना.तह. परसोरिया द्वारा उनके आक्षेपित आदेश दि. 7.1.16 के माध्यम से कोई अंतिम निर्णय नहीं पारित किया गया है, केवल पंचनामा रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में बनाई जाकर पेश किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पूर्व पंचनामा प्रतिवेदन में उनके समक्ष के आवेदक के हस्ताक्षर नहीं थे जिसे लेकर उसने आपत्ती की थी। ऐसे में उभयपक्ष की उपस्थिति में पंचनामा रिपोर्ट बुलाने के निर्देश से भविष्य के विवाद की संभावना कम हुई है, और यह न्यायोचित भी प्रतीत हो रहा है। वैसे भी उनके इस निर्देश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए हैं, या प्रभावित होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। अभी पक्षकारों को अधीनस्थ स्तर पर और मौका कार्यवाही में पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों और विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी आवेदन इसी प्रक्रम पर	

[कृ. प. उ.

R-498-II/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अस्वीकार कर अग्राह्य किया जाता है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। (सदस्य) 2.2.16	